राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1790/2011/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत डी, जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विनायक एसोसियेटस,
न्यू पावर हाउस रोड, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 31/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 83/आरएसटी /जेयूडी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत–डी, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 एवं 24 के तहत पारित आदेश दिनांक 28.01.2010 पारित आदेश में रिवर्स की गई आई.टी.सी में से रुपये 4,783/– का रिवर्सल अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी के पास दिनांक 31.03.2007 को मौजूद माल मार्बल व ग्रेनाईट रूपये 3,48,050/– में से रूपये 2,74,900/– का माल प्रत्यर्थी द्वारा निजी निर्माण में उपयोग लिया गया। निजी उपयोग में लिये गये माल के संबंध में धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार आगत कर का दावा स्वीकार्य नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रुपये 21,425/– का आई.टी.सी रिवर्स किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को आंशिक स्वीकार करते हुये रुपये 4,783/– की आई.टी.सी. रिवर्स की राशि को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी के पास मौजूद माल मार्बल व ग्रेनाईट रूपये 3,48,050/– में से रूपये 2,74,900/– के माल को प्रत्यर्थी द्वारा निजी निर्माण में उपयोग लिया गया, जिसके सम्बन्ध में धारा 18(1) के प्रावधाननुसार आगत कर का दावा स्वीकार्य नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस संबंध में पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी बाजवूद सूचना अनुपस्थित है तथापि अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में निजी प्रयोग में लिये गये माल के क्रय पर चुकाये गये कर के संबंध में आगत कर का दावा स्वीकार्य नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में प्रत्यर्थी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर दिनांक 15.01.2010 में आगत कर रूपये 16,642/– को रिवर्स किये जाने के संबंध में अपनी सम्मति दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने इस प्रत्युत्तर में विस्तृत गणना करते हुये फिनिश्ड गुडस बनाने में लगे लेबर, कटिंग चार्जेज व मशीनरी व्यय आदि को कम करते हुये कच्चे माल की कीमत की गणना करते हुये रिवर्स किये जाने योग्य आई.टी.सी. की राशि रुपये 16,642/– गणित की है तथा अपीलीय अधिकारी ने इसी गणना के आधार पर इस रिवर्स योग्य आई.टी.सी. राशि से अधिक रिवर्स की गई राशि रुपये 4,783/– को ही अपास्त किया है, अतः अपीलीय आदेश उचित पाया जाता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है।

6. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. आदेश प्रसारित किया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य